<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103004072016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—391 / 16</u> संस्थापित दिनांक—28.09.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
अभियोजन	
विरुद्ध	
01-बालचंद लोधी पुत्र श्री मोतीलाल लोधी उम्र 40 साल	
निवासी ग्राम हसारी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 02.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 440, 341, 294, 323, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 341, 294, 323, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 404 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी सूरजभान ने दिनांक 18.08.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह अपने खेत पर अपनी फसल को देखने गया तो उसने देखा कि हंसारी का बालचंद लोधी लाठी लेकर उडदा खेत में खडे होकर अपनी 5 भैंसें, 2 बैल, 1 गाय को उडदा की फसल में चरा रहा था। जब उसने उससे भैंस, बैल व गाय को भगाने को कहा तो वह उसे मां—बहन की बुरी—बुरी गाली देते हुए बोला कि मैं तो ऐसे ही फसल को चराउंगा। और जब वह भैंसों को भगाने लगा तो बालचंद ने उसकी लात—घूसों से मारपीट कर दी और बालचंद ने लगभग उसके 5 वीघा उडदा के खेत में भैंसें, बैल, गाय चराकर लगभग 50 हजार रुपये का नुकसान कर दिया। और जब वह रिपोर्ट करने आने लगा तो उसने उसे रास्ते में रोक लिया और रिपोर्ट लिखाने पर से जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 402/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 440, 341, 294, 323, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 440, 294, 323 एवं 506 भाग—दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 18.08.16 को समय 14.00 बजे फेक्टरी के सामने फरियादी का खेत मोहनपुर रोड चंदेरी पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सूरजभान यादव की सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी करके रिष्टि कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सूरजभान की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन साक्षी 01 सूरजभान ने अपने कथन में बताया है कि वह 08-आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से जानवरों को लेकर वाद विवाद हो गया था जिस पर से आरोपी ने उसके साथ गाली गलौच एवं धक्का मुक्की की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामीका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने अपनी भैंस और जानवरों से उसकी फसल को चरवाकर उसे नुकसान कारित किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उसे पांच लाख रुपये का नुकसान किया गया। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 03 के पंचनामे पर पुलिस वालों ने उससे किस बात के हस्ताक्षर कराए थे इसकी जानकारी उसे नहीं है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी ने अपने कथन में यह कहीं नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा उसे सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी करके उसके साथ रिष्टि कारित की गई। प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा रिष्टि कारित की गई थी।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि

अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 404 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)